न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल , ग्वालियर , लिंक सागर म0प्र0

प्रकरण क्र0- निशानी 2390-I-15 सन्

अवध बिहारी शर्मा तनय श्री भूरेराम शर्मा, आयु साल

निवासी- ग्राम सलेहा , तहसील मुनौर, जिला पन्ना म0प्र0

..... आवेदक/अपीलार्थी.

// बनाम //

मध्य प्रदेश शासन

द्वारा- खनिज निरीक्षक पन्ना, जिला पन्ना म0प्र0

.....अनावेदक/प्रतिअपी0

आवेदन/अपील अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0भू-रा0 संहिता 1959

विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय सागर संभाग, सागर म0प्र0 के रा0 अपील प्र0क्र0- 190 अ-67/ वर्ष 2014-15 आदेश दिनांक- 8.1.2015 से दुखित होकर ।

आवेदक/अपीलार्थी की ओर से निम्न लिखित प्रार्थना है :-

1.- यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक/अपीलार्थी के नाम कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा पन्ना से फर्सी पत्थर उत्खन पट्टा दिनांक- 18.5.2008 से 17.3.2018 तक के लिए स्वीकृत था । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) पवई, जिला पन्ना के समक्ष खनिज निरीक्षक के द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि, आवेदक/अपीलार्थी के द्वारा ग्राम जूड़ी मड़ैयन के खसरा नं. 350 रकबा - 0.10 हे0 में अवैध फर्सी पत्थर का उत्खन किया गया है तथा कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया । अधी0 न्या0 अनु0 अधि0 द्वारा प्रकरण में उक्त आवेदक/अपीलार्थी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं इसके उपरांत प्रकरण में आवेदक/अपीलार्थी के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया एवं इसके उपरांत प्रकरण में साक्ष्य ली जाकर उक्त

....2.

(53)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2390/I/15 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.9.15	प्रकरण में आवेदक अभि० श्री संजय सेठ (अधि०)। प्रकरण में आवेदक अभि० को सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा अपने तर्कों में निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं को ही व्यक्त करते हुए निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 8.1.15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया, प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना की गई है कि प्रकरण में आवेदक स्वयं अपील कर्ता था ऐसी स्थिति में पारित आदेश से अनजान रहना मान्य नहीं है इस आधार पर विलम्ब माफी का आवेदन निरस्त किया गया था। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। प्रकरण दाखिल हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

[कृ. प. उ.